डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक : 16 /फा0सं0–240/डी.एस.एम.एन.आर.यू./2019–20 दिनांक : 18 अप्रैल, 2020

// कार्यालय–आदेश //

उ0प्र0 शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश सं0–902/सत्तर–3–2020, दिनांक–17 अप्रैल, 2020 एवं उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग–4 के शासनादेश सं0–7/2020/315/सामान्य–का–4–2020, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के माध्यम से कोरोना वायरस (कोविड–19) के दृष्टिगत् उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय के कार्यालयों को दिनांक– 20 अप्रैल, 2020 से खोले जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्त के अनुक्रम में समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/समूह 'क' तथा 'ख' के सभी अधिकारी कार्यालय अवधि में उपस्थित रहेंगे तथा समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिक सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखते हुए कार्यालयी कार्य सम्पादित करेंगे। विश्वविद्यालयी कार्य में गति लाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार लॉकडाउन अवधि में अन्य पटल से सम्बन्धित कार्य भी कार्मिक सक्षम स्तर से प्रदत्त निर्देश के क्रम में सम्पादित करेंगे। कार्य सम्पादन में किसी भी स्तर पर उदासीन रवैया प्रकट किये जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कार्यवाही की जायेगी।

इन निर्देशों का दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनाँक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : –

1– मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2– वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3– परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4– चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट, महिला एवं पुरूष छात्रावास, विश्वविद्यालय।
5– समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
6– समस्त कर्मचारीगण, विश्वविद्यालय।
7– विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8– गार्ड फाइल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव